संख्या-58/2021/1060/26-3-2021-4(विविध)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-601/103/ज0जा0वि0/2020-21, दिनांक-12.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर के ग्राम परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-151/2020/2652/ 26-3-2020-6(विविध)/2017, दिनांक-27.11.2020 द्वारा जनपद-ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-1552.05 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-81 के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0-388.00 लाख (रू0 तीन करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

1-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

3-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय≤ पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

4-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 तथा समय≤ पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखी जायेगी।

7-स्वीकृत धनराशि का उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

8-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापसंख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहें हैं।

9-प्रश्नगत कार्यो में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10-थर्ड पार्टी जांच में परियोजना की लागत में परिलक्षित हो रहे रू0-352.00 लाख के अन्तर के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई अन्तनिर्हित वित्तीय अनियमितता भविष्य में प्रकाश में आती है, तो इसके लिये परियोजना के संचालन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी एवं सम्बन्धित अभियन्तागण सीधे उत्तरादायी होंगे, क्योंकि उक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-789/26-3-2021, दिनांक-12.03.2021 द्वारा उन्हें संसूचित किया जा चुका है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

पृ0संख्या- 58/2021/1060(1)/26-3-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण)/अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- निदेशक, एन0आई0सी0।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ, उ0प्र0।
8- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।